न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना जिला नागौर (राज0)
पीठासीन अधिकारी :– रिछपाल सिंह बुरडक, आर.ए.एस.

अपील संख्या 06/2021

अपीलान्ट:–

1– छोटुराम पुत्र पोकरराम जाति जाट निवासी काकोट तहसील कुचामन सिटी, जिला नागौर राज.।

2– रामगोपाल पुत्र बिरदाराम जाति जाट निवासी काकोट तहसील कुचामन सिटी, जिला नागौर राज.।

बनाम

रेस्पोडेन्ट:–

1– श्रीमान तहसीलदार कुचामन सिटी, जिला नागौर राज0।

2– पटवार हल्का शिव जिला नागौर राज.।

उपस्थित अधिवक्ता–

1– श्री महेन्द्र सिंह खिलेरी अधिवक्ता अपीलान्ट ।

अपील विरूद्ध निर्णय राजस्व प्रकरण अधीन धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 बअनुवान सरकार बनाम छोटुराम वगै. प्रकरण संख्या 125/2020 न्यायालय तहसीलदार महोदय कुचामन सिटी का निर्णय दिनांक 22/12/2020.

अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट

निर्णय

दिनांक:–26.03.2021

{1}– यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार कुचामन के प्रकरण संख्या 125/2020 बअनुवान राजस्थान सरकार बनाम छोटुराम पुत्र पोकरराम, रामगोपाल पुत्र बिरदाराम जाति जाट निवासी काकोट में पारित निर्णय दिनांक 22/12/2020 के विरूद्ध पेश की है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

{2} – अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का शिव ने अपीलान्ट/अप्रार्थी के विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार कुचामन को रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट/अप्रार्थी ने मौजा ग्राम काकोट के खसरा न0 170, 171 कुल 2 रकबा 13.63 हैक्टर में से रकबा 4.37 हैक्टर किस्म गै0मु0 टीला भूमि पर वर्ष 2019 सम्वत 2076 से डोल लगाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमियों को भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट/अप्रार्थी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत जरिये नोटिस जारी कर तलब किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/अप्रार्थी द्वारा काकोट के खसरा नं. 170, 171 कुल 2 रकबा 13.63 हैक्टर में से रकबा 4.37 हैक्टर गै0मु0 टीला भूमि पर अतिक्रमण किये जाने से अप्रार्थी द्वारा किया गया अतिक्रमण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लघंन होने से अतिक्रमण की श्रेणी में पाया गया। अतः अप्रार्थी को अतिक्रमी माना जाकर मौजा काकोट के खसरा नम्बर 170, 171 कुल 2 रकबा 13.63 हैक्टर किस्म गै. मु. टीला भूमि में से रकबा 4.37 हैक्टर भूमि गैर मुमकिन टीला भूमि से बेदखल किये जाने का आदेश दिया गया, एवं वार्षिक लगान दर 21.85 का पच्चास गुणा से राशि 1093/–अक्षरे एक हजार तरानवें रूपये जुर्माना आरोपित किया जाता है।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 12.01.2021 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट की अपील को दिनांक 12.01.2021 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय को रिकार्ड हेतु तलबी जारी की गयी। अधीनस्थ न्यायालय

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

के पत्रांक राजस्व/2021/141 दिनांक 22.01.2021 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली इस न्यायालय में प्राप्त हुई।

{3}– वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया है कि:–

{3}(1)– यह है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.12.2020 अधीन अपील कानून के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(2)– यह है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय अधीन अपील पारित करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की है, योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.12.2020 अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(3)– यह है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अधीन अपील न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य हैं।

{3}(4) – यह है कि खसरा नम्बर 80 व 81 जिसके नये खसरा नम्बर 170 व 171 बने हैं जिसके संबंध में राजस्व अपील अधिकारी द्वारा दिनांक 29.12.2020 को राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति के संबंध में आदेश पारित किया गया है। इस तथ्य की ओर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गैर नही कर दिनांक 22.12.2020 को निर्णय करते हुए बेदखली का आदेश पारित किया है जो कि विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य हैं।

{3}(5)– यह है कि यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त हैं कि यदि खसरा नया भी बन जाये तो वह पुराने खसरे से सम्बंधित रहता है ऐसी स्थिति में स्थगन आदेश नये खसरों पर भी लागू रहता है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

{3}(6)– यह है कि तहसीलदार कुचामन सिटी द्वारा पूर्णरूप से विधि विरूद्ध तरीके से उक्त कार्यवाही की गई हैं। जिस भूमि पर पटवारी हल्का द्वारा अतिक्रमण मानकर रिपोर्ट पेश की गई हैं वह भूमि प्रार्थीगण की पैतृक भूमिं हैं जिसके संबंध में घोषणा खातेदारी का वाद भी लम्बित हैं एवं जिस पर तहसीलदार कुचामन द्वारा जुर्माना व बेदखल करने का आदेश पारित किया हैं। अपीलांट द्वारा किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही किया गया हैं।

{3}(7)– यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने किसी प्रकार की कोई साक्ष्य नही ली गई है, न ही अधिवक्ता की बहस सुनी गई हैं, न ही दस्तावेजों का कोई अवलोकन किया गया हैं एवं अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन आदेश का कोई हवाला नही दिया गया हैं। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश अपास्त किये जाने योग्य हैं।

{3}(8)– यह है कि उक्त अपील में वर्णित खसरा नम्बरान पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं हैं महज अपीलांट को तंग परेशान करने की नियत से मिथ्या तथ्य अंकित किये गये है।

{3}(9)– अधिवक्ता अपीलांट ने अपील पेश कर निवेदन किया है कि तहसीलदार कुचामन सिटी द्वारा प्रकरण संख्या 125/2020 बअनुवान सरकार बनाम छोटुराम वगै. में पारित निर्णय को अपास्त किये जाने का आदेश पारित किया जावे।

{4}- अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.12.2020 को पारित हुआ। अपीलार्थी ने अपील दिनांक 12.01.2021 को प्रस्तुत की जिससे यह अपील अन्दर मियाद है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

{5}– बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन व मनन किया गया। पटवारी हल्का शिव की रिपोर्ट जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा ग्राम काकोट के खसरा नं0 170 रकबा 11.76 हैक्टर गै. मु. टीला भूमि व खसरा नं0 171 रकबा 1.87 हैक्टर गै.मु. टीला भूमि पर डोल लगाकर अतिक्रमण किया हुआ है। आदेश जैर अपील जारी करने से पूर्ण अप्रार्थी/अपीलान्ट को विविधवत नोटिस दिया गया है। अप्रार्थी संख्या 01 का नोटिस प्राप्त शामिल मिसल किया गया जो पत्रावली की आदेशिका दिनांक 13.01.2021 से स्पष्ट है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा गै0 मु0 टीला भूमि पर नाजायज कब्जा किया गया है। उक्त भूमि राजकीय भूमि होकर किस्म गै. मु. टीला भूमि है तथा वर्तमान में भी राजकीय खाते में दर्ज है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 में यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति द्वारा भूमि पर बिना विधि संगत प्राधिकार के अधिवास या कब्जा कर रखा हो, उसे अतिचारी समझा जायेगा तथा उसें तुरन्त बेदखल किया जा सकता है। अतिक्रमण करने से अपीलान्ट को कोई स्वत्व व अधिकार अर्जित नहीं होते हैं। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की कार्यवाही समरी कार्यवाही है। तहसीलदार को राजकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने के अधिकार हैं। कब्जा विधि सम्मत होना चाहिए और उसे ठोस दस्तावेजी साक्ष्य से साबित भी किया जाना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा ऐसी कोई पुख्ता दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की गयी है, जिससे वादग्रस्त भूमि में अपीलान्ट का स्वत्व व अधिकार होना माना जा सके। अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित एवं पर्याप्ट अवसर भी प्रदान किया गया है। ऐसी स्थिति में हस्तगत अपील में कोई सार नही होने से यह अपील निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने विविधवत कार्यवाही कर अपीलान्ट को बेदखली का आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोइ हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

:::: आदेश ::::

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.12..2020 यथावत रखा जाता है।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 26.03.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी होकर खुले न्यायालय में सुनया गया।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)